



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1948 (श0)
(सं0 पटना 1147) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
23 सितम्बर 2026

सं0 सं0-10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026-5813— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तृतीय परन्तुक [बिहार वित्त अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं0-11,2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-1A के अनुच्छेद सं0-23 में 23ए को निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:-

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का प्रकार	देय स्टाम्प ड्यूटी
23ए	“रूपान्तरण (सम्पत्तिर्वर्तन) दस्तावेज” का मतलब है एक निबंधित दस्तावेज जो कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदलने के मकसद से तैयार किया गया हो, जिसके ज़रिए ऐसी भूमि का धारक या मालिक उसके भूमि-उपयोग के वर्गीकरण को कृषि से व्यावसायिक उपयोग में बदलना चाहता है।	व्यावसायिक इस्तेमाल वाली भूमि के लिए लागू प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी (एम0भी0आर0) और खेती के इस्तेमाल वाली भूमि के लिए लागू एम0भी0आर0 के बीच के अंतर का 7 प्रतिशत अर्थात:- रूपान्तरण (सम्पत्तिर्वर्तन) स्टाम्प ड्यूटी = (व्यावसायिक एम0भी0आर0 - कृषि एम0भी0आर0) x 7%

2. उक्त स्टाम्प ड्यूटी की दर अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबन्धन विभाग
(निबन्धन)

अधिसूचना

23 सितम्बर 2026

सं० सं०-10/नि०-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026-5813 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)

Notification

The 23rd September 2026

F.No. 10/Ni-10-(MVR Punirakshan)-03/2026-5813— In exercise of the powers conferred by 3rd proviso of Section-3 of the Indian stamp Act, 1899 {as inserted by the Bihar Finance Act, 2001(Act No-11 of 2002)}, the Governor of Bihar is pleased to Section 23A is inserted after Section 23 of Schedule-1 of the Act as follows:-

Article No.	Types of Document	Stamp Duty Payable
23A	“ Conversion Deed ” means a registered instrument executed for the purpose of conversion of agricultural land to commercial land, whereby the holder or owner of such land seeks to change its land-use classification from agricultural to commercial use.	7% of the differential value between the Minimum Value Register (MVR) applicable to the land for commercial use and the MVR applicable to the land for agricultural use, namely: Conversion Stamp Duty = (Commercial MVR – Agricultural MVR) × 7%

2. Rates of the said Stamp duty shall be effective from the date of issuance of the notification.

By the order of Governor of Bihar,
Sanjai Kumar,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1147—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>